



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 / 31 भाद्रपद, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि०—III)

अधिसूचना

शिमला—2, 16 सितम्बर, 2017

संख्या: पीईआर (एपी)—सी—ए (3)—1/2007—II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के

परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग—III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—“क” के अनुसार, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग—III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, विधान सभा सचिवालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिवाय हिमाचल प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.— (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: पी0ई0आर0 (ए0पी0)—सी0—ए (3)—1/2007—I, तारीख 24 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित और तारीख 29 दिसम्बर, 2014 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में यथा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग—III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 का एतद् द्वारा, निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
तरुण श्रीधर,
अति० मुख्य सचिव (कार्मिक)।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग—III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पदों के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.—कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी)
2. पदों की संख्या.— जो सम्बद्ध विभागों में सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर की जाए।
3. वर्गीकरण.—वर्ग—III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.—ये बैंड ₹ 5910-20200 /—जमा ₹ 1950 /— ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 7860 /— प्रतिमास।
5. “चयन” पद अथवा “अचयन” पद.— लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि, पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) *अनिवार्य अर्हता.*—(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो की परीक्षा पास।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लिकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में कम से कम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।

या

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिक संस्थान (नाईलिट) से 'ओ' या 'ए' स्तर का डिप्लोमा।

या

किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) में डिप्लोमा।

(iii) कम्प्यूटर पर, अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो:

परन्तु एक प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत चयनित/भर्ती किए गए दृष्टि बाधित व्यक्तियों को कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लिकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त करने से छूट होगी और टंकण परीक्षा पास करने के बजाय, उन्हें सम्बद्ध विभाग द्वारा कम्पोजिट रीजनल सेन्टर (सीआरसी), सुन्दरनगर या दृष्टिबाधित अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एन0आई0वी0एच0), देहरादून या कम्पोजिट ट्रेनिंग सेन्टर (सी0टी0सी0), लुधियाना

के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण सहित आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा जिसके लिए उन्हें तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि पदधारी उसे अर्हित करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तथापि, उन पदधारियों को जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं पूर्वोक्त प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अवसर प्रदान किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा टंकण करने के लिए असमर्थ प्रमाणित किए जाने पर भी अन्यथा अर्हित हैं, को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में छूट दी जा सकेगी। शब्द दिव्यांगजन के अर्न्तगत, वे व्यक्ति नहीं आते हैं जो दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित हैं किन्तु इसके अर्न्तगत केवल वे व्यक्ति ही आते हैं जिनकी शारीरिक निशक्तता/विकृति स्थायी रूप से उन्हें टंकण करने से निवारित करती है।

टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए उपरोक्त मानदण्ड कम्प्यूटरों पर दक्षता परीक्षण मानकों के लिए भी लागू होगा।

(ख) *वांछनीय अर्हता (ए)*—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.— लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणीयां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.— लागू नहीं।

12. यदि विभागीय/स्थायीकरण प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.— जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.— किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.— सीधी भर्ती के मामलों में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी:—

(I) **संकल्पना.**—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश.....(विभाग का नाम) में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियां.**—संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) को ₹ 7860/- की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्तवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 235/- (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) **नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.**—विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) **चयन प्रक्रिया.**—संविदा नियुक्ति के मामलों में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.**—जैसी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) **करार.**—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट “II” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) **निबन्धन और शर्तें.**—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 7860/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 235/- की दर से पद के (पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर

नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ.) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ. /जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16 आरक्षण.— सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.— जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट-I

	लिखित परीक्षा	85 अंक
1.	{लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंको में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ लिखित परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}।	
2.	<p>अभ्यर्थी का मूल्ययांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:-</p> <p>(i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। 2.5 अंक</p> <p>{शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 अंक अनुज्ञात किए जाएंगे ($50 \times 0.025 = 1.25$)}</p> <p>(ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से संबंधित। 01 अंक</p> <p>(iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। 01 अंक</p> <p>(iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। 01 अंक</p> <p>(v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। 01 अंक</p> <p>(vi) एन एस एस (कम से कम एक वर्ष)/एन सी सी में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। 01 अंक</p> <p>(vii) ₹ 40,000/- से कम या सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित (समस्त स्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी पी एल कुटुम्ब। 02 अंक</p> <p>(viii) विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला। 01 अंक</p> <p>(xi) इकलौती पुत्री/अनाथ 01 अंक</p> <p>(x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से संबंधित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। 01 अंक</p> <p>(xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से संबंधित, अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल 0.5 अंक) 2.5 अंक</p>	15 अंक

कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य..... (नियुक्त प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, (नियुक्त प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 7860/- प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर

कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी. पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of the Department Notification No. Per (AP)-C-A(3) -1/2007-II, dated 16-09-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-171002, 16th September, 2017

No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Recruitment and Promotion Rules for the post of **Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services** in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted), Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of Himachal Pradesh, except Vidhan Sabha Secretariat, High Court of H.P. and H.P. Public Service Commission.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology) Class-III (Non-Gazetted), Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2014 notified vide this Department Notification No.Per.(AP)-C-A(3)-1/2007-I, dated 24.12.2014, as published in the Rajpatra of Himachal Pradesh on 29th December, 2014 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
TARUN SHIRIDHAR,
Addl. Chief Secretary (Personnel).

Common Recruitment & Promotion Rules for the posts of Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non- Gazetted), Ministerial Services in various Departments of Himachal Pradesh Government.

1. **Name of Post.**—Junior Office Assistant (Information Technology)
2. **Number of Posts .**—As sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.
3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services
4. **Scale of Pay.**—(i) *Pay Scale for regular incumbents.*—Pay Band ₹ 5910-20200/- + ₹ 1950/- Grade Pay
(ii) *Emoluments for Contract Employees.*—₹ 7860/- as per details given in Col. No. 15-A.
5. **Whether “Selection” post or “Non-Selection” Post .**—Not applicable.
6. **Age for direct recruitment.**—Between 18 to 45 year:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations /Autonomous Bodies.

Note.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—
(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S).—(i) 10+2 from a recognized Board of School Education.

(ii) Diploma of minimum one year duration in Computer Science/Computer Application/Information Technology from a recognized University/Institution.

OR

‘O’ or ‘A’ level Diploma from National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT).

OR

Diploma in Information Technology (IT) from a recognized ITI.

(iii) Computer typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi:

Provided that visually impaired persons selected/recruited under 1% quota will be exempted from acquiring Diploma in Computer Science/ Computer Application/Information Technology and passing of typing test instead they shall be imparted necessary basic training including computer training course by the Department concerned through Composite Regional Centre (CRC), Sundernagar or National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradun or Composite Training Centre (CTC), Ludhiana. They shall have to complete the above training during which three chances will be afforded. If the incumbent fails to qualify the same his /her services shall be terminated. However, the incumbents already in the service shall be afforded sufficient number of chances to complete the aforesaid training:

Provided further that differently abled persons who are otherwise qualified to hold clerical post as certified being unable to type, by the Medical Board may be exempted from passing the typing test. The term, differently abled persons does not cover those who are visually impaired or who are hearing impaired but cover only those whose physical disability/deformity permanently prevents them from typing.

The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the Skill Test Norms on Computers.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION (S).—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s).— Not Applicable.

9. Period of Probation, if any.— (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100 % by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.— Not applicable.

12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC). is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.— Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/ authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Junior Office Assistant (Information Technology) in Department of _____(Name of the Department), H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/ extended.

(b) The HOD (Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Office Assistant (Information Technology) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 7860/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹ 235/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in

contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Head of the Department (Designation of the appointing authority) H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-“II” appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a)The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 7860/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹235/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b)The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not Applicable

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

APPENDIX-I

1.	WRITTEN TEST {Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}.	85 marks
2.	Evaluation of candidate to be made in the following manner:- i) Weightage for the minimum educational qualification, rescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks	15 marks

	<p>{Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)}</p> <p>ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark</p> <p>iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark</p> <p>iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. =01 Mark</p> <p>v) Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity. =01 Mark</p> <p>vi) NSS (alleast one year)/certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark</p> <p>vii) BPL family having annual income (from all sources) below ₹ 40,000/-or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Marks</p> <p>viii) Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Mark</p> <p>ix) Single daughter/Orphan =01 Mark</p> <p>x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution. =01 Mark</p> <p>xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Marks</p>	
--	---	--

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Office Assistant (Information Technology) and the Government of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ between Sh./Smt. _____ S/o/D/o Shri _____ R/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Office Assistant(IT) on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Office Assistant(IT) for a period of one year commencing on day of _and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be t 7860/-per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Junior Office Assistant (Information Technology) appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....

.....

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.

.....

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 सितम्बर, 2017

संख्या: पी0एल0जी0बी (1)-1/2016.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में **अनुसंधान अधिकारी, वर्ग-I** (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न “उपाबंध-क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग—I (राजपत्रित), अलिपिक वर्गीय, के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) अधिसूचना संख्या: पी0एल0जी0 ए (3)—2/2010, तारीख 30 जनवरी, 2014 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
(श्रीकान्त बाल्दी),
अतिरिक्त मुख्य सचिव (अर्थ एवं सांख्यिकी)।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग—I (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—अनुसन्धान अधिकारी
2. **पद (पदों) की संख्या.**— 17 (सत्रह)
3. **वर्गीकरण.**— वर्ग—I (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय
4. **वेतनमान.**—(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैंड ₹ 10,300—34,800 जमा ₹ 5,000/— ग्रेड पे।

(ii) **संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.**—स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹15,300 प्रतिमास।

5. **“चयन” पद अथवा “अचयन” पद.**—चयन।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेदित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) *अनिवार्य अर्हता.*—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थ शास्त्र/सांख्यिकी/गणित/वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) *वांछनीय अर्हता.*—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.—*आयु.*—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.—लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—*सीधी भर्ती/प्रोन्नति:*—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुर्ननियोजन पर और आमेदन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर, दोनों के न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) पच्चीस प्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—सहायक अनुसन्धान अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को, सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर:

परन्तु अनुसंधान अधिकारी के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित चार बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:—

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला, दूसरा और तीसरा	प्रोन्नति द्वारा
चौथा	सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पणः—रोस्टर, प्रत्येक चौथे बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक कि समस्त प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व विहित प्रतिशतता तक प्राप्त नहीं हो जाता है। तत्पश्चात्, रिक्त को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो।

(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम/क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम/क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—I.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम/क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकाल सेए प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण—II.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में, उप तहसील कमरऊ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना तथा सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार-वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार-वृत्त, पद्धर

तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार-वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार-वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार-वृत्त।

स्पष्टीकरण—III.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और तीन (3) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोब्लिआईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—(क) विभागीय प्रोन्नति समिति विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी:—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश में अनुसंधान अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ा या जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:—अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (अर्थ एवं सांख्यिकी), हिमाचल प्रदेश सरकार से रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यक्ष को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त अनुसंधान अधिकारी, को ₹ 15,300/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्तवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 459/- (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, (अर्थ एवं सांख्यिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा

या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-‘ख’ के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹15,300/- की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 459/- की दर से (पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्वधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबंध-ख

अनुसंधान अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, (अर्थ एवं सांख्यिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमतिपुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य.....
..... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीखको किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने..... (पद का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

- यह कि प्रथम पक्षकार(पद का नाम) के रूप में से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

- प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ ----- /— प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य(ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितकरण के मामले में विचार करने समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम को हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No.PLG-B(1)-1/2016 Dated _____ as required under clause (3) of article 348 of Constitution of India].

ECONOMICS AND STATISTICS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, the 12th September, 2017

No. PLG-B (1)-1/2016.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Research Officer, Class-I** (Gazetted) (Non-Ministerial) in the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh as per Annexure “A” attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Economics and Statistics Department, Research Officer, Class-I (Gazetted) (Non Ministerial) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Economics and Statistics Department, Research Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2014 notified *vide* Notification No. PLG-A(3)2/2010 (RO/DSO/Statistician), dated the 30th January, 2014 as amended from time to time are hereby, repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
(SRIKANT BALDI),
Addl Chief Secretary(Eco.& Stat.).

ANNEXURE-“A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF RESEARCH OFFICER, CLASS-I (GAZETTED) (NON MINISTERIAL) IN THE DEPARTMENT OF ECONOMICS & STATISTICS, HIMACHAL PRADESH.

1. **Name of the Post.**—RESEARCH OFFICER
2. **Number of Post(s).**—17 (Seventeen)
3. **Classification.**—Class – I (Gazetted) (Non-Ministerial)
4. **Scale of Pay.**— (i) *Pay band for regular incumbent(s):*—Pay Band ₹ 10,300-34,800 + ₹5,000/- Grade Pay.
(ii) *Emoluments for Contract Employee(s):*— ₹ 15, 300/- as per details given in Col. No. 15-A.
5. **Whether “Selection” post or “Non-Selection” Post.**— Selection
6. **Age for direct recruitment :** 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc or on contract basis had become overage on the date he /she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/ her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note:— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational & other qualifications required for direct recruit(s).—(1)
ESSENTIAL QUALIFICATION:—Master's degree in Economics/ Statistics/ Mathematics/ Commerce (with statistics) from a recognized University.

(2) *DESIRABLE QUALIFICATION.*—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age:—Not applicable.

Educational Qualification:—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Direct Recruitment:/ Promotion:—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:—(i) 75 % by promotion failing which on secondment basis failing both by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 25 % by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Research Officers having 05(five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments:

Provided that for filling up the posts of Research Officer the following 04 points roster shall be followed:—

Roster Point(s) No.	Category
1st, 2nd and 3rd	By promotion
4th	By direct recruitment

Note:—The Roster will be rotated after every 4th point till the representation to all categories is achieved upto the prescribed percentages. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post

(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult/hard area and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:— For the purpose of proviso I supra the “term” in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural area shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II:— For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kothog, Silh- Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III:—For the purpose of provision (I) supra the Remote/Rural Area shall be as under:

- (i) All stations beyond the radius of 20 Kms from Sub Division/Tehsil headquarter.
- (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms from State Headquarter and District headquarters where bus services is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
- (iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules :

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rules 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous ad-hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the ad-hoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules :

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, ad-hoc service rendered shall remain unchanged.

12. If the departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) *Departmental Promotion Committee.*—D.P.C. to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

(b) *Departmental Confirmation Committee.*—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting

agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Research Officer in the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year- to- year basis :

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The Addl. Chief Secretary/ Pr. Secretary(Eco. & Stat.) to the Govt. of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Research Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 15,300/- P.M. (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). An amount of ₹ 459/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary (Eco. & Statistics) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview / personality test or if consider necessary or expedient on the basis of interview / personality test preceded by a screening test (objective type) / written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign at agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS & CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 15,300/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount ₹ 459/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days maternity leave and 10 day's Medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of serving children) during the entire service in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual leave, Medical leave and Special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/ GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Schedule Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination:—Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules 1997, as amended from time to time.

18. Powers to Relax : Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission to relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of persons or post(s).

ANNEXURE-“B”

Form of contract /agreement to be executed between the Research Officer and the Government of Himachal Pradesh through Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary (Fin./Eco.& Stat.) to the Govt. of Himachal Pradesh.

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ between Sh./Smt. _____ S/o/D/oShri _____ R/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Research Officer on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a _____ (Name of the post) for a period of one year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the _____ FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/ renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed / extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ _____/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. Contractual _____ (Name of the post) will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY).

2. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY).

LAW DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 21st September, 2017*

No. LLR-B(1)-1/2013.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order creation of 04 (Four) posts of Secretaries (in the rank of Senior Civil Judge) in the pay scales Rs. 39,530-54,010/- in the District Legal Services Authorities *i.e.* Bilaspur, Hamirpur, Kinnaur at Rampur and Sirmaur at Nahan constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 in the current Financial Year 2017-2018 subject to the condition that the posts shall be filled up on or before 28-02-2018 after completing all the codal formalities as required therein:—

Posts for District Legal Services Authorities

Sr. No.	Name of Post	Number of Post(s)	Name of District	Pay Scale
1.	Secretary, in the rank of Senior civil Judge	1	Bilaspur	Rs. 39,530-54,010/-
2.	--do--	1	Hamirpur	--do--
3.	--do--	1	Kinnaur at Rampur	--do--
4.	--do--	1	Sirmaur at Nahan	--do--

The expenditure will be debited to Major Head 2014-Administration of Justice and Election, 800-Other Expenditure, 02-Himachal Pradesh State Legal Services Authority (Non-Plan) during the current financial year 2017-2018.

This is being issued with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their Diary No.54095614 Fin (PR) dated 12-09-2017.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
L.R.-cum-Pr. Secretary (Law).

FINANCE (PENSION) DEPARTMENT**OFFICE MEMORANDUM***Shimla-171002, the 18th September, 2017*

Subject:— Extension of benefits of 'Retirement Gratuity and Death Gratuity' to the Himachal Pradesh Government employees covered by New Defined Contributory Pension Scheme (known as NPS).

No.Fin (Pen)A(3)-1/96.—The undersigned is directed to say that the pension of the State Government servants appointed on or after 15-5-2003 is regulated by the New Defined Contributory Pension Scheme (known as NPS) Notified by the State Government *vide* Notification No. Fin(Pen) A (3)-1/96, dated 17-08-2006 read with Notification No. Fin (Pen) A (3)1/96 dated 15-5-2003.

2. The issue for grant of gratuity to the Government servants covered by the New Pension Scheme has been under consideration of the Government. It has been decided that the Government employees covered under New Pension System shall be eligible for the benefit of retirement gratuity and death gratuity on the terms and conditions as are applicable to the employees covered under the CCS (Pension) Rules, 1972 subject to a maximum of 12½ times of the emoluments (*i.e.* 25 years qualifying service).

3. The maximum limit of Retirement Gratuity and death gratuity shall be Rs. 10-00 Lakh.

4. This order will be applicable to those Himachal Pradesh Government employees who joined service in Government Departments on regular basis on or after 15-5-2003 and are covered by the New Defined Contributory Pension Scheme (known as New Pension Scheme) Notified by the State Government *vide* Notification No. Fin (Pen) A (3)-1/96 dated 17-8-2006 read with Government Notification No. Fin (Pen) A (3)1/96 dated 15-5-2003.

5. These orders shall take effect from the date of publication in the Rajpatra.

By order,
Sd/-

Addl. Chief Secretary (Finance).

To

**All Administrative Departments
Government of Himachal Pradesh.**

Visit Finance Department-www.himachal.gov.in/finance/

No. Fin (Pen) A (3)-1/96

Dated: 18th September, 2017

1. The Principal Accountant General (Audit), H.P. Shimla-171003.
2. The Accountant General (A&E) Himachal Pradesh Shimla-171003.
3. The Resident Commissioner, Himachal Pradesh, Himachal Bhawan, 27-Sikandra Road, New Delhi-110001.
4. Executive Director, Pension Fund Regulatory & Development Authority, First Floor, ICADR Building Plot No. 6 Vasant Kunj Institutional Area, Phase-II, New Delhi-110070.
5. Director, National Securities Depository Ltd., 4th Floor, A-Wing, Trade World, Kamala Mills compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai-400013.
6. All Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
7. All Heads of Departments in Himachal Pradesh.
8. All Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
9. The Registrar, H.P. High Court, Shimla-171001.
10. All District and Session Judges in Himachal Pradesh.

11. The Controller, Printing & Stationery, Himachal Pradesh, Shimla-171005 for publication in the Gazette of Himachal Pradesh.
12. All Controllers/Joint Controllers/Dy. Controllers/Asstt. Controllers/Section Officer (F&A) under the Administrative Control of T&A Organization in Himachal Pradesh.
13. All District Treasury Officers/Treasury Officers of sub-Treasuries in Himachal Pradesh.
14. The Registrar, HP University, Shimla-171005/Agricultural University, Palampur and Horticulture University Solan.
15. All Managing Directors, Boards and Public Undertakings in Himachal Pradesh.
16. Director Defence Estates, Ministry of Defence, 144/6 Panchkula, Haryana.
17. Contonment Executive Officer, Jatogh (Shimla)/Subathu (Solan) Kasauli (Solan) Kasauli (Solan)/Yol Cantt. (Kangra) Bakloh (Chamba)/Dalhousie (Chamba), Himachal Pradesh.
18. Commandant Training Centre, SSB Sarahan (Rampur Bushehar) Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
19. Divisional Organiser, Punjab & Himachal Pradesh Division, Directorate of Security, Shimla-4.
20. Deputy Director, Defence Estates and Cantonments Northern Command, Udhampur, Jammu and Kashmir.
21. All Sections of Finance Department, H.P. Secretariat, Shimla-171002.
22. Incharge, NIC, HP Sectt. Shimla with the request that this order of the State Government may kindly be put on State Website of the Finance Department under the 'Pension Link'.

By order,
Sd/-
Special Secretary (Finance).